

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय-भूगोल में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता-भूगोल को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	जितेंद्र कुमार वर्मा, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि देवरिया, शाहपुरा, भीलवाड़ा (214475)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1 (23-05)RPSC/Appt/HRD/नियुक्ति/2022/62 दिनांक: 24.02.2023 एवं आदेश क्रमांक: एफ1 (23)RPSC/Appt/HRD/2022/76 दिनांक: 09.03.2023

विभाग छोड़ने के बाद इनका वर्तमान धारित पद पर नियमानुसार लियन रहेगा। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर प्रालना से अविलम्ब अवगत करावें।



he

(गौरव अग्रवाल)

आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 27/03/2023

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/2022-23

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 3.संबंधित प्रधानाचार्य को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से विभाग के प्रति किसी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने पश्चात ही कार्यमुक्त किया जावें।
- 4.संबंधित कार्मिक।
- 5.सिस्टम ऍनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
- 6.निजी एवं रक्षित पत्रावली।

Pa

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर